



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 386/XXXVI (3)/2016/77(1)/2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2016” पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 38 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 38, वर्ष 2016)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गठन वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 11 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 निरसित समझी जायेगी।

धारा 22 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 22 में उल्लिखित शब्द "या धारा 11" को विलोपित कर दिया समझा जायेगा।

धारा 26 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 26 के पार्श्व शीर्षक में आये शब्द "और जमा" तथा उपधारा (2) से शब्द "और उसके पास जमा धनराशि ब्यौरा" विलोपित कर दिया समझा जायेगा।

आज्ञा से,

आर०सी० खुल्ते,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम के अन्तर्गत 'साहूकारिता' के कारोबार का अर्थ ऋणों के अग्रिम कारोबार से है एवं साहूकार का तात्पर्य इस प्रकार के व्यक्ति से है जिसके द्वारा साहूकारिता का कारोबार किया जा रहा हो। इस प्रकार की साहूकार की गतिविधियों में सार्वजनिक जमा समविष्ट नहीं है। इसी प्रकार यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र उधार के कारोबार के लिये दिया जाता है और इसमें सार्वजनिक जमा सम्मिलित नहीं है।

आर.बी.ई अधिनियम के अध्याय-III B(धारा-45 IA) एवं अध्याय III-C(45-5) के अन्तर्गत कम्पनी एवं तत्सम्बन्धी अधिनियमों में सार्वजनिक जमा को विनियमित एवं निषेधात्मक प्राविधान किये गये हैं।

यू.पी.आर.एम.एल. अधिनियम की धारा 11 के प्राविधान आर.बी.आई. ऐक्ट के प्राविधानों से असंगत है एवं अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। इस प्रकार से विलोपन केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियम के अन्तर्गत अनपेक्षित विरोधाभास को दूर करने का प्रस्ताव है।

2- प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यक की पूर्ति करता है।